

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
12 ⁰² 2021	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वकील वादी अनुपस्थित है। वादी द्वारा बावजूद निर्देश भी तलवाना पेश नहीं किया है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम कैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">12.02.2021 (सुरेश कुमार यादव) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोन (करौली)</p> 